(6)

प्रपत्र – 2.1

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान

(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड प्रदेश
(i)	जिला	–	नैनीताल
(iii)	वन प्रभाग	–	नैनीताल वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	–	0.0250 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	–	आरक्षित वन क्षेत्र
(vi)	हरियाली का घनत्व	–	0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0–8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किये जाए।	–	लीज का नवीनीकरण किया जाना है वृक्ष प्रभावित नहीं होते है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	–	नहीं
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	–	~~नहीं~~ 0.50 Km
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण–जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा समक्ष प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या		नहीं

8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	–	अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

9. क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया – गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहें है। — नहीं

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः– — लागू नहीं

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/– अवक्रमित पल क्षेत्र आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — संलग्न

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक – वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एंजेसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। — संलग्न

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय– — संलग्न

अप्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः – उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्न

12. प्रभाग/जिला प्रोफाईल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।– — 679400.00 हे0

(i) जिला का वन क्षेत्र। – — 402040.00 हे0

(ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से – वनेत्तर प्रयोग मे लाया गया कुल क्षेत्र – — 9568.87 हे0

(iii) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल – प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि–

(ख) वनेत्तर भूमि पर .... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर – — ~~441.59 है0~~ 7902.68 हे0

(ख) वनेत्तर भूमि पर — 499.2 हे0

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 637/14-2-578/74 दि० 26.6.1978 के अनुसार यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से पेट्रोल पम्प खोलने हेतु (x)

दिनांक :– 08/02/2018

स्थान :– रामनगर

हस्ताक्षरः–

नामः–

सरकारी मोहरः– प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

(x) नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो उक्त भूमि में कृषि केन्द्र के साथ-साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में लीज स्वीकरण हेतु श्री घिल्डियाल द्वारा इस सम्बन्ध में "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" प्रस्तुत नहीं किया है और वर्तमान में उक्त स्थल पर कृषि केन्द्र का संचालन न करते हुए केवल पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

शासनादेश संख्या 1963/14—2—578/84 दिनांक 03.07.1975 के तहत 30 वर्षों हेतु जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के संचालन हेतु 0.025 है0 क्षेत्रफल वन भूमि लीज पर दी गयी थी। लीज डीड में अधिरोपित शर्तों के अनुसार उक्त भूमि का रू0 7500.00 प्रीमियम एवं रू0 375.00 वार्षिक लीज रेन्ट निर्धारित किया गया था। जिसका लीज धारक द्वारा वर्ष 03.07.1975 से 03.07.2005 कुल 30 वर्ष का लीज रेन्ट जमा किया गया है। तत्पश्चात् लीज नवीनीकरण न होने के कारण लीज धारक द्वारा लीज रेन्ट की धनराशि जमा नहीं की गयी है।

"उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 6371/14—2—576/74 दिनांक 26.06.1978, जो अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनीताल को सम्बोधित है, के अनुसार यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पेट्रोल पम्प संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते है तो कृषि सेवा केन्द्र के साथ—साथ पेट्रोल पम्प का संचालन किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।"

उक्त के सम्बंध में श्री घिल्डियाल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड देहरादून द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें उनके द्वारा जिलाधिकारी, नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पेट्रोल पम्प संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय में जमा कराये जाने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में लीज नवीनीकरण हेतु श्री घिल्डियाल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बंधित अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है। वर्तमान में उक्त भूमि पर लीज धारक द्वारा कृषि सेवा केन्द्र के स्थान पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है।

संलग्नक = पृष्ठ सं0 52 से 57

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर